

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. X, Fifth Session, 2021/1942 (Saka)
No. 06, Friday, February 05, 2021/Magha 16, 1942 (Saka)**

S U B J E C T

P A G E S

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

* Starred Question Nos. 61, 71 and 78 9-18

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos. 62 to 70, 72 to 77, 79 and 80 27-99

Unstarred Question Nos. 691 to 880 and 882 to 920 100-820

FELICITATION BY THE SPEAKER

821

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 823-830

COMMITTEE ON PRIVILEGES

1st Report 831

**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT**

10th to 13th Reports 832

BUSINESS OF THE HOUSE 833-834

MATTERS UNDER RULE 377 835-853

- (i) Need to provide stoppage of all the trains at Wadsa railway station in Gadchiroli district, Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete 835

- (ii) Need to streamline the auction process for confiscated goods entering India from Nepal in Uttar Pradesh

Shri Ajay Misra Teni 836

- (iii) Regarding National Status for Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP)

Shri Dushyant Singh 837

- (iv) Need to establish a National Institute of Technology in Jalaun district, Uttar Pradesh

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 838

- (v) Regarding financial package for Bundelkhand region

Shri Anurag Sharma 839

- (vi) Regarding passport Seva Kendra in Kolar district, Karnataka

Shri S. Muniswamy 840

- (vii) Need to frame stringent laws to curb content in films and social media platforms

Shrimati Keshari Devi Patel 841

- (viii) Regarding Kalaburagi Railway Division

Dr. Umesh G. Jadav 842

- (ix) Regarding widening of NH 68 in Tharad city, Gujarat

Shri Parbatbhai Savabhai Patel 843

- (x) Need to augment railway services in Araria Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Pradeep Kumar Singh 844

- (xi) Need to establish an Eklavya Model Residential School in Rohtas District, Bihar

Shri Chhedi Paswan 845

- (xii) Need to ensure adequate discharge of water in Jawai dam in Rajasthan

Shri P.P. Chaudhary 846

- (xiii) Need to develop State Highway 7E in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan, as a National Highway

Shri Bhagirath Choudhary 847

- (xiv) Regarding fixing MSP of 'Kinu' and 'Carrot'

Shri Nihal Chand Chouhan 848

- (xv) Regarding dedicated research institute for fisheries in Andaman and Nicobar Islands

Shri Kuldeep Rai Sharma 849

- (xvi) Regarding implementation of the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor Project

Shri S.R. Parthiban 850

(xvii) Regarding completion status of NH 67

Shri Talari Rangaiah

851

(xviii) Need to construct bridge on Punpun river in
Aurangabad district, Bihar

Shri Mahabali Singh

852

(xix) Regarding alleged irregularities in PDS system
in Andhra Pradesh

Shri Jayadev Galla

853

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

*Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February 05, 2021/ Magha 16, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Sixteen of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61, श्री अजय मिश्र टेनी।

...(व्यवधान)

16.01 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri N.K. Premachandran, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Shri E.T. Mohammed Basheer and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

.... (Interruptions)

16.02hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61, श्री अजय मिश्र टेनी।

(Q. 61)

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोरोना संकट को नियंत्रित करने व दुनिया के सबसे बड़े वैक्सिनेशन प्रोग्राम को संचालित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सिनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, परंतु क्या अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में चल रहे वैक्सिनेशन प्रोग्राम में जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक का खर्च प्रधान मंत्री केयर्स फंड के माध्यम से 82 प्रतिशत से अधिक किया जा रहा है? ...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले फेज़ में हमारे तीन करोड़ हैल्थवर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सिनेशन के लिए अधिकांश जो सहयोग है, वह हमें पीएम केयर्स फंड के माध्यम से मिला है। ...(व्यवधान)

इसके साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसके अंदर कॉन्ट्रिब्यूट कर रहा है। ...(व्यवधान) आने वाले समय के अंदर देश के और 27 करोड़ लोगों को, जो 50 साल से ऊपर के हैं और 50 साल से कम के हैं, जिनको कोमॉरबिडिटीज़ हैं, उनको भी आने वाले समय के अंदर देश में वैक्सिनेशन लगाया जाएगा। ...(व्यवधान)

हमारी वित्त मंत्री ने अभी जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें आने वाले समय के लिए और इस वर्ष के लिए 35 हजार करोड़ रुपये केवल कोविड से लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए, वैक्सिनेशन के माध्यम से रखा गया है। ...(व्यवधान) वित्त मंत्री जी ने यह भी अपने बजट भाषण में कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें और ज्यादा वृद्धि भी की जा सकती है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, कोरोना वैक्सीन पर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे आप सब भी जानना चाहते हैं। इस विषय पर सरकार जवाब देना चाहती है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कृपया प्रश्नकाल में सहयोग करें। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह आपका अधिकार होता है, सरकार की उस पर जवाबदेही होती है, कार्यपालिका पर जवाबदेही तय होती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब अपनी-अपनी सीटों पर विराजें, ताकि प्रश्न काल ठीक से और व्यवस्थित तरीके से चल सके।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप सेकेंड सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये के बजटीय प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक धन की भी व्यवस्था करने का आश्वासन माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया है।
...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फ्री-वैक्सिनेशन के साथ ही क्या बाजार में सस्ती कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराने पर भी सरकार विचार करेगी या पहले से सरकार ऐसा विचार कर रही है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में प्रधान मंत्री जी ने अगस्त के पहले सप्ताह में एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, जिसमें डॉ. वी.के. कौल और हमारे स्वास्थ्य सचिव चेयरमैन हैं।...(व्यवधान) इसमें सभी प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं। कई राज्य इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में और इससे जुड़े जितने भी विषय हैं, उनके संदर्भ में यह एक्सपर्ट ग्रुप प्रधान मंत्री जी से भी मार्गदर्शन लेता है और समय-समय पर सारे आवश्यक फैसले करता है।...(व्यवधान) जो भी फैसले किए जाते हैं, वे पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं और इसी एक्सपर्ट ग्रुप के फैसलों के अनुरूप देश में वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया शुरू हुई है।...(व्यवधान) देश में लगभग 5 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन

दिया जा चुका है और इसके लिए 95801 सैशन्स देश में किए जा चुके हैं...(व्यवधान) इसी सप्ताह हैल्थ वर्कर्स के साथ-साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय दो वैक्सीन्स को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए ऑथोराइजेशन दिया गया है। इसके अलावा भारत में 7 और वैक्सीन्स पर काम हो रहा है, जिसमें से तीन वैक्सीन्स क्लीनिकल फेज के थर्ड फेज के ट्रायल में हैं। दो वैक्सीन्स फर्स्ट और सैकेंड फेज में हैं और दो वैक्सीन्स एडवांस्ड प्रीक्लीनिकल फेज के अंदर हैं। जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ेगी मार्केट में उपलब्ध कराने के बारे में एक्सपर्ट ग्रुप्स जो भी निर्णय करेगा, उसकी जानकारी सारे देश को उचित समय पर दी जाएगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने लिखकर दिया है, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जगदम्बिका पाल जी।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं क्योंकि आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने यह महामारी एक वैश्विक चुनौती है और उस वैश्विक चुनौती में जिस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने आज कोविड-19 के लिए दो वैक्सीन्स का इजाद किया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 7 और वैक्सीन्स भी प्रोग्रेस में हैं, जो बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो यह निश्चित तौर से भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है। मैं अपनी सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि हम कोरोना वैक्सीन को पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएंगे। भारत सरकार की नीति 'नेबर फर्स्ट' की है। हमारी सरकार आने के बाद प्रधान मंत्री जी की जो यह नीति है, उसके तहत हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश हैं, क्या इन देशों को भी हमारी वैक्सीन देने की कोई नीति है? जिस तरह से हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन 150 देशों को दी गई, क्या इस तरह से हमारी दोनों वैक्सीन्स की दुनिया के अन्य देशों से मांग आई है, अगर आई है तो कहां-कहां से आई है?

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूँ कि इस समय भारत के पास दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग आई है। इन देशों का नाम अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बहराइन, भूटान, ब्राजील, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव, मॉरीशियस, मंगोलिया, मोरोक्को, म्यांमार, नेपाल, नेकारगुआ, ओमान, पेस्फिक आइसलैंड्स, साऊदी अरेबिया, सिस्ली, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और यूएई है। इन देशों में से 15 से अधिक देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी और कांटेक्टेट डोजेज के रूप में भी दी गई हैं। 2 फरवरी के डेटा के अनुसार 56 लाख डोजेज ग्रांट के रूप में इन देशों में दी जा चुकी हैं और 105 लाख डोजेज कांटेक्टेट डोजेज के रूप में दी जा चुकी हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री विनोद कुमार जी।

...(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कोविड महामारी के समय जिस तरह से देश का नेतृत्व माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया और इस देश के गांव, गरीब, किसान सभी की चिंता की गई, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। साथ ही साथ देश के वैज्ञानिकों को भी इस सदन के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने कोविड महामारी के समय दो वैक्सीनों का निर्माण किया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेता अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस समय देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उस समय समय देश के वैज्ञानिकों का हौसला गिराने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज में इन्होंने जो वैक्सिनेशन की शुरुआत की है, वह कब तक पूरी हो जाएगी और सेकेंड फेज में जो लोग 50 साल से अधिक आयु के हैं, उनके लिए सेकेंड फेज कब तक शुरू कर पाएंगे? ...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ हमारी जंग एक साल तक माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में चली

है और सफलतापूर्वक उस जंग में हमने दुनिया के अंदर सब प्रकार के रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं...(व्यवधान) 16 जनवरी, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ वैक्सिनेशन शुरू हुआ था और पहले फेज में लगभग एक करोड़ सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को वैक्सिनेशन देने का लक्ष्य था, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है...(व्यवधान) इसके बाद दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनकी एस्टिमेटेड संख्या लगभग 2 करोड़ रखी गई थी, उनका वैक्सिनेशन भी इसी सप्ताह 2 फरवरी, 2021 से देश के अनेक स्थानों पर शुरू हो गया है। पहले या दूसरे फेज के वैक्सिनेशन के पूरा होने के बाद संभावना यह है कि अगले माह में कभी भी किसी भी सप्ताह के अंदर तीसरा फेज, जिसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के देश के सभी नागरिकों को वैक्सिनेशन की सुविधा मिलेगी, प्रारम्भ किया जाएगा...(व्यवधान) उसकी एक एग्जैक्ट डेट तो आज देना संभव नहीं है, लेकिन हमने जैसा कहा कि, अनुमान है कि मार्च के महीने में दूसरे, तीसरे या चौथे सप्ताह में कभी भी यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकती है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्न संख्या-71 और 78 को क्लब किया जाता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विनसेंट एच. पाला

श्रीमती साजदा अहमद

श्री राजन बाबूराव विचारे

श्री दीपक बैज।

...(व्यवधान)

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 62 to 70, 72 to 77, 79 and 80

Unstarred Question Nos. 691 to 880 and 882 to 920)

(Page No. 27-820)

*Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

16.13 hrs**FELICITATION BY THE SPEAKER**

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को सभा की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने कम समय में इतने उन्नत किस्म के वैक्सीन तैयार किए हैं और पूरे विश्व में भारत का नाम रौशन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे आगे भी इसी तरीके से देश सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। मैं माननीय सदस्यगणों से फिर आग्रह करूँगा कि अगर वह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने-अपने स्थान पर जाकर विराजें ताकि हम सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित तरीके से चला सकें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही छह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

...(व्यवधान)

16.15 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eighteen of the Clock.

18.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Eighteen of the Clock.

...(Interruptions)

(Hon. Speaker in the Chair)

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Bhagwant Mann, Dr. Amar Singh and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

18.01 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आईटम नंबर 2 से 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2979/17/21]

(ख) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2980/17/21]

- (3) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2981/17/21]

- (4) (एक) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2982/17/21]

- (6) (एक) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2983/17/21]

- (8) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2984/17/21]

- (10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 की धारा 25 की उप-धारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परिनियम, 2020, जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनआईएफटी/एचओ/अधिनियम-परिनियम/2007-खंड-चार में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2985/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 2986/17/21]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 2987/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2988/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2989/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2990/17/21]

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2991/17/21]

(7) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2992/17/21]

- (9) (एक) भारतीय पास्चर संस्थान, कुनूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पास्चर संस्थान, कुनूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2993/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बाबुल सुप्रियो जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2994/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं संसद तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 2995/17/21]

18.02 hrs

COMMITTEE ON PRIVILEGES

1st Report

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 8, श्री राजीव प्रताप रूडी।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति (17वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

18.02 ½ hrs**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT****10th to 13th Reports**

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।
- (4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

* 10th to 13th Reports were presented to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on 10th September, 2020 under Direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha and the same were seen by the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha on 14th September, 2020. The Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

18.03 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND
PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):** With your permission

Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 8th of February, 2021 will consist of: -

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper: - [*it contains* discussion on the Motion of Thanks on the President's Address]
2. General Discussion on Union Budget 2021-22.
3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 14 of 2020) and Consideration and passing of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021.
4. Consideration and passing of the following Bills after they are passed by Rajya Sabha: -
 - i. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021

- (No. 01 of 2021) and Consideration and passing of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021.
- ii. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 15 of 2020) and consideration and passing of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021.
 - iii. The National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill, 2019.
 - iv. The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020.

...(व्यवधान)

18.04 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय अध्यक्ष: नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जा सकते हैं। माननीय सदस्यगण सभा पटल पर अपने मामले रख सकते हैं।

(i) Need to provide stoppage of all the trains at Wadsa railway station in Gadchiroli district, Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर कई सौ किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है। गड़चिरोली जिले में केवल एकमात्र रेलवे स्टेशन वड़सा में है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों का वड़सा स्थित रेलवे स्टेशन से ही रेलगाड़ियों में आवागमन होता है। लेकिन, वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव न होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत काफी समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र गड़चिरोली जिले के वड़सा स्थित रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to streamline the auction process for confiscated goods entering India from Nepal in Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर-खीरी, उत्तर प्रदेश की बड़ी सीमा नेपाल से जुड़ी है, जिसके कारण नेपाल राष्ट्र से आने-जाने वाले लोगों व दोनों देश के वैध व्यापार का संचालित करने हेतु कस्टम विभाग के कार्यालय, कृषि मंत्रालय के कार्यालय एस.एस.बी. व पुलिस आदि की निगरानी लगातार रहती है।

कई बार प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी या गलत तरीके से वैध वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले लोग सीमा पर काम कर रही एजेंसियों द्वारा तस्करी के सामान सहित पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर कस्टम के सिवाय अन्य एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया सामान व तस्कर कस्टम विभाग को सौंप दिये जाते हैं।

परन्तु अब ऐसी सूचनायें मिल रही हैं कि कुछ प्रभावी तस्करों द्वारा कथित रूप से कस्टम विभाग से मिलकर आपराधिक दुरभसंधि की जा रही है तथा विभाग से मिलकर औने-पौने दाम पर नीलामी करवा कर स्वयं खरीदकर पुनः उक्त सामान व कागजों का उपयोग तस्करी के लिए किया जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पकड़े गए तस्करी के सामान की नीलामी जल्दी के लिए कोई ऐसी योजना बनाने की कृपा करें जिससे सीमा पर हो रही तस्करी को रोकने के साथ इस तरह के अवैध व गैर कानूनी कार्यों को रोका जा सके।

(iii) Regarding National Status for Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP)

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): My state Rajasthan covers about 10.4 per cent of geographical area, 5.5 per cent population, 19 per cent livestock and 14 per cent cultivable land, whereas it holds only 1.16 per cent of country's surface water and 1.72 per cent of ground water.

Regarding ground water status, there are 295 blocks out of which only 50 blocks are safe while 38 are semi-critical, 10 critical and 194 over-exploited. Hence, development of multi-purpose irrigation and drinking water project is crucial for the development of the region.

Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) is planned to harvest surplus yield available in the Southern Rajasthan rivers and transfer it to the deficit basins in South-Eastern Rajasthan. This scheme is planned to meet the drinking, irrigation and industrial water needs of 13 districts of Southern and South-Eastern Rajasthan. Diversion of 5,068 MCM water available from Rajasthan's own catchment area is proposed in this project. The project covers 23.67 per cent area and 41.13 per cent population of Rajasthan.

I request the hon. Minister to please evaluate ERCP according to "Guidelines for Implementation of National Project" and accord national status to the project.

**(iv) Need to establish a National Institute of Technology
in Jalaun district, Uttar Pradesh**

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के अंतर्गत जनपद जालौन जो कि आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, यहाँ इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। जिला जालौन के सभी छात्र जिन्हें बी.टेक और एम.टेक करना है, वे छात्र-छात्राएं झाँसी या कानपुर जाते हैं। जालौन से झाँसी एवं कानपुर 150 किलोमीटर दूर है। जिले में छात्र-छात्राओं का एक वर्ग जो इंजीनियरिंग की शिक्षा तो ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कानपुर या झाँसी जाने एवं रहने हेतु आर्थिक स्थितियाँ ठीक न होने के कारण वे छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए संसदीय क्षेत्र की प्रतिभाएं दबकर रह जाती हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जनपद जालौन के छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान खुलवाने का कष्ट करें, जिससे वहां के छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करके देश में अपना अमूल्य योगदान दे सकें।

(v) Regarding Financial Package for Bundelkhand Region

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): It is well known that the population of Bundelkhand is deprived and backward with limited access to even basic resources. They have been hit by the COVID situation worse than other regions as its majority population is of migrant labour who have come back to the region with no access to work and livelihood.

The basic package for Bundelkhand development is not enough leading to their pain and suffering.

Understanding fully that creating employment is not a process that can be implemented overnight. Hunger, thirst and shelter is not something that can wait till the completion of mammoth rehabilitation process. The government is therefore urged to release an additional grant to this region in order to meet the basic needs of the people. Many ministries could pitch in to bring this region back on track.

(vi) Regarding Passport Seva Kendra in Kolar district, Karnataka

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Kolar is a very progressive district in Karnataka which housed Asia's first goldmine and has been progressing rapidly for the past several decades. Many MNCs have their establishments here on account of a positively encouraging environment. Therefore, the demand for passport will increase in the days to come. It is also important that many young talents from Kolar district should have accessible means to get their passports in time to make use of opportunities available globally. So, I request the Government to establish a Passport Seva Kendra in Kolar District, Karnataka.

(vii) Need to frame stringent laws to curb content in films and social media platforms

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): देश के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक समरसता के संस्कारों को संजोने की पहल में मेरा निवेदन है कि सम्प्रेषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संदर्भित सभी विधाओं में धार्मिक और सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों, आराध्य चरित्रों आदि को लेकर फिल्म, मीडिया, सोशल मीडिया, मनोरंजन (वेब सीरीज) आदि के अनेक माध्यमों इत्यादि तथा देश की मूल विचारधारा के विपरीत संस्कारों के लोगों द्वारा जानबूझ कर धार्मिक चरित्रों को संदर्भित करके सम्प्रेषण और प्रस्तुतीकरण के सभी माध्यमों से देश के महत्वपूर्ण धार्मिक चरित्रों को अपमानित करने के उद्देश्य से उनके प्रति अपशब्दों, चित्रों एवं रेखांकन आदि के द्वारा भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का एक दुष्प्रचार, षड्यंत्र, तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मुझे नैतिक और जनप्रतिनिधि के रूप में आवश्यकता महसूस होती है।

मेरा विचार है कि इस संदर्भ में कठोर कानून के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु नये कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तक इस संबंध में बने हुए कानून पर्याप्त नहीं हैं, जिससे इस तरह की गतिविधियों पर रोक प्रभावी हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि जनभावनाओं को समझते हुए उक्त संदर्भ में कठोर कानून बनाकर अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

(viii) Regarding Kalaburagi Railway Division

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): The Union Government had announced the Railway Divisional headquarters in Kalaburagi in 2014 and a detailed report was given approval and the required land was allocated to Indian Railways. The Railway Division still remains a distant dream. At present, the region is served by three railway zones - central railway, south central railway, and south western railways; and five Divisions – Solapur, Guntakal, Secunderabad, Hyderabad and Hubballi. As the region is divided into various zones and divisions, it is difficult to get train facilities or any other work on priority basis as we have to get approval from various divisions and zone offices. A committee has been setup to give feasibility report on this Division, but still the report has not been submitted to the Government. Therefore, I urge the hon. Minister for Railways to direct the concerned Division to submit the feasibility report and take necessary action to start the Kalaburagi Railway Division.

(ix) Regarding widening of NH 68 in Tharad city, Gujarat

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): थराद शहर (गुजरात) में से NH 68 गुजरता है और वहां हमेशा ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने हेतु सड़क को 4 लेन में परिवर्तन करने के सन्दर्भ में निवेदन पत्र मैंने पहले भी सम्बंधित मंत्रालय के कार्यालय में भेजा है और दरखास्त विभाग से भी मंत्रालय में आई हुई है जो मंजूरी हेतु लंबित है। मेरे पत्र के जवाब में मंत्री जी का लिखित आश्वासन भी मुझे मिला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2020-21 में बजट को स्वीकृत करके इसको पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि NH 68 के चौड़ीकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाये जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

**(x) Need to augment railway services in Araria
Parliamentary Constituency, Bihar**

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया) : मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में अवस्थित अररिया जिला को शेष भारत और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद मात्र दो ही एक्सप्रेस यात्री ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस और जे.बी.एन. एक्सप्रेस की सुविधा प्राप्त है जिसके अंदर पैट्री कार भी नहीं है, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से मेरे क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र को और अधिक रेल सेवाओं, सुविधाओं से जोड़ना अति आवश्यक है। जैसे कि 1 गाड़ी सप्ताह में 3 दिन कटिहार से कोलकाता के लिए चलती है, इस गाड़ी को अररिया के जोगबनी से रोजाना कोलकाता के लिए चलाया जाए। आम्रपाली एक्सप्रेस जो कि कटिहार से अमृतसर के लिए चलती है, इस गाड़ी को जोगबनी से अमृतसर के लिए चलाया जाए। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि कटिहार से पटना के लिए चलती है, इस गाड़ी को जोगबनी से पटना के लिए चलाया जाए तथा 1 नई गाड़ी जोगबनी से वाराणसी के लिए चलाई जाए। मेरे क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसे कि कटिहार से जोगबनी रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण, अररिया से गलगलिया और अररिया से सुपौल रेल लाइन और फारबिसगंज से सहरसा रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

**(xi) Need to establish an Eklavya Model Residential School
in Rohtas District, Bihar**

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मेरे संसदीय क्षेत्र के रोहतास जिला अंतर्गत प्रखण्ड-रोहतास के रेहल में आदिवासी समाज के वंचित बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए “एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय” स्थापित करने की अति आवश्यकता है, जहाँ अनुसूचित जनजाति/आदिवासियों का अति प्राचीन विरासत रोहतासगढ़ किला स्थित है। जिला पदाधिकारी से विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि इस क्षेत्र में उक्त विद्यालय स्थापित करने हेतु आवश्यक मापदण्ड के अनुसार आदिवासियों की संख्या 20 हजार से अधिक है। इस पहाड़ी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति/आदिवासी परिवारों को उन्नत करने के लिए उनके बच्चों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, नियमित, निरंतर एवं आवासीय शिक्षा की नितांत आवश्यकता है।

अतः विशेष अनुरोध है कि आदिवासी समाज के समग्र कल्याण हेतु व्यापक जनहित में बिहार के रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखण्ड के रेहल में यथाशीघ्र “एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय” स्थापित करने हेतु सदन के माध्यम से निर्देशित करने की कृपा की जाए।

**(xii) Need to ensure adequate discharge of water in
Jawai dam in Rajasthan**

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र का अधिकांश भूजल खारा है। 1957 में जवाई बांध बनाने के बाद जोधपुर शहर सहित इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए बांध पानी का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। पिछले 5 दशकों में बांध मात्र 7 बार ही भरा है। पाली जिले की मांग वर्तमान स्तरों के साथ पूरी नहीं की जा सकती है। बांध में पानी की औसत आवक 3,800 डब्जि है और जिले की मांग पीने व सिंचाई के लिए क्रमशः 3,500 और 4,500 डब्जि है। पानी की कमी के चलते वाटर ट्रेन चलानी पड़ती है तथा किसान यूनियनों द्वारा विरोध कई वर्षों से किया जा रहा है। नवम्बर, 2016 में WAPCO ने एक विस्तृत परियोजना पर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्टनुसार साबरमती बेसिन के अधिशेष जल के डायवर्सन से जवाई बांध को भरा जाए।

**(xiii) Need to develop State Highway 7E in Ajmer Parliamentary
Constituency, Rajasthan, as a National Highway**

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित किशनगढ़ (अजमेर) से मालपुरा (टोंक) स्टेट हाईवे 7ई का मार्ग वर्तमान में अरांई तक 5.50 मीटर चौड़ा है एवं इससे आगे स्टेट हाईवे 101 अरांई से किशनपुरा जिला सीमा अजमेर तक लगभग 3 मीटर एवं किशनपुरा से मालपुरा तक 5.5 मीटर चौड़ा मार्ग नया बना हुआ है। इस मार्ग पर अरांई से किशनपुरा के 22 किमी के हिस्से में सड़क कम चौड़ी होने के कारण इसपर चलने वाले सैकड़ों ट्रोलों, ट्रकों, कन्टेनरो, कारों, जीपो एवं बसों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः किशनगढ़ (अजमेर) से मालपुरा (टोंक) तक 70 किलोमीटर मार्ग को ई.पी.सी. पद्धति एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत दो लेन पक्की पटरी सहित चौड़ाईकरण कर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित कर निर्मित कराने हेतु आगामी बजट वर्ष 2021-22 की विभागीय कार्य योजनाओं में स्वीकृत कराने की कृपा कराएं। ज्ञात रहे कि उक्त 70 किमी के मार्ग पर लगभग 22 किमी का हिस्सा ही 3 मीटर चौड़ा है बाकी का 48 किमी हिस्सा लगभग 5.5 मीटर चौड़ा एवं निर्मित है इस हेतु जमीन अधिगृहण भी पर्याप्त है।

(xiv) Regarding fixing MSP of Kinnu and Carrot

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं केंद्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में होने वाली किन्नू व गाजर की रिकॉर्ड पैदावार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा किन्नू की पैदावार अकेले श्रीगंगानगर में ही होती है, जो कि लगभग 11 हजार हेक्टेयर भूमि में 3 लाख 70 हजार मीट्रिक टन है और वहीं गाजर की पैदावार लगभग 915 हेक्टेयर भूमि में 27 हजार 450 मीट्रिक टन है।

यहाँ से बड़ी मात्रा में देश व दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में किन्नू व गाजर का निर्यात होता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पैदावार व निर्यात होने पर भी यहाँ के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इस बार इस क्षेत्र में किन्नू की रिकॉर्ड पैदावार हुई है और कोरोना काल व किसान आन्दोलन के चलते यहाँ से किन्नू का निर्यात नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में किन्नू उत्पादक किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिस कारण स्थानीय किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्यादातर किन्नू का निर्यात ट्रकों द्वारा किया जाता है, जिसमें समय ज्यादा लगने के कारण किन्नू की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करते हुए किन्नू व गाजर की फसल पर MSP तय करके यहाँ पर एक किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए और साथ ही रेल विभाग से भी अनुरोध है कि किन्नू को समय पर देश-विदेश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने हेतु रेल द्वारा ढुलाई की व्यवस्था की जाए।

**(xiv) Regarding dedicated research institute for fisheries in
Andaman and Nicobar Islands**

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): The Andaman and Nicobar Islands have vast potential for fisheries development in view of its Coastal length of about 1,962 km and Continental shelf area of 35,000 sq. km. The Exclusive Economic Zone (EEZ) around these islands is about 6,00,000 sq. km. with an estimated Fishery potential of 1.48 lakh MT which is 3.8 per cent of our Country's total Fishery Potential. I request the Government to provide incentives and investment for developing processing infrastructure. Cold chain system complying with international standards and deep sea fishing vessels for exploitation of tuna and high value fishes in Andaman & Nicobar Islands will generate employment and boost the economy. In addition to this, I demand that the Department of Fisheries should establish a dedicated research institute for fisheries in Andaman and Nicobar Islands for further research and capacity augmentation in the area of fisheries which would aid development of the islands and realize its potential.

**(xvi) Regarding implementation of the Tamil Nadu Defence
Industrial Corridor Project**

SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Salem is one of the fastest growing Districts in the country. Establishment of new factories is essential to create employment for educated young generation.

The Central Government has already announced “Tamil Nadu Defence Industrial Corridor” project. The cities of Salem, Chennai, Coimbatore, Hosur and Trichy will benefit from this project.

Tamil Nadu is a major defence manufacturing State in the country. It is famous for automobile components. It is a much stronger manufacturing State and has a strong IT presence. There is also a large base of engineering colleges in the private sector. So, there is a huge talent pool.

Salem and Coimbatore are the major areas for development of precision machinery, and is a base of about 4,000 companies, including MSMEs. A huge unused land is available in Salem Steel Plant to establish new industries.

So, I would urge upon the Central Government to implement the “Tamil Nadu Defence Industrial Corridor” project immediately to create new employment in my Salem Constituency. Thank you.

(xvii) Regarding completion status of NH 67

SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): In the year 2015, various new National Highway ventures were initiated as part of Gol's step on expanding NH networks and transforming the transport sector. As part of this initiative, over 23 Highway projects were initiated in AP. We were extremely elated over this step taken by the Gol, specifically, regarding the status of the NH 67, which is primarily concerned with my constituency. Its work was started in the year 2015 and was initially expected to be completed within two years but in reality, even after a lapse of four years, the works have not been completed as yet. As a result, the commute on route connecting the destinations of Bellary–Guntakal–Gooty has become a horrible experience. The main reason for delay in the completion of works is because of negligence of the concerned construction company.

**(xviii) Need to construct bridge on Punpun river in
Aurangabad district, Bihar**

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं सरकार का ध्यान पुनपुन नदी पर पुल बनाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड के ग्राम अजनियाँ के पास पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनाने के कारण यहाँ के दो पंचायत के हजारों लोगों को बरसात के चार महीने तक बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा पुल के अभाव में हर साल बरसात के महीने में डूबने से लोगों की मौत भी हो जाती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अजनियाँ के पास पुनपुन नदी पर पुल अतिशीघ्र बनाया जाए।

(xix) Regarding alleged irregularities in PDS system in Andhra Pradesh

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Andhra Pradesh Police have busted a racket and arrested 32 people from Prakasam involved in exporting PDS rice meant for poor to Malaysia, Africa, Bangladesh, etc. The alleged gang involved illegally exported 450 metric tonnes of rice worth Rs.38 crore. Police say that this is just the tip of iceberg and the racket could be worth Rs. 150 crore.

The *modus operandi* is that the smugglers procure PDS rice at Rs. 10 per kg from millers which otherwise is to be procured only by Civil Supplies Department. But, in connivance with the millers and CSD, the smugglers are able to procure the PDS rice. The rice is then polished, packed, labelled and taken to Kakinada, Chennai and Krishnapatnam ports for export. This rice was sold for Rs. 123 per kg in Malaysia. The Vigilance and Enforcement Directorate officials are on record saying that the same rice is also sold in the domestic open market for Rs. 40-50 per kg.

Hence, I request the GOI to immediately take steps to punish the culprits and plug the loopholes in the PDS.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सदन की कार्यवाही अगर चलाना चाहते हैं, तो कृपया अपने-अपने आसन पर जाकर विराजें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 8 फरवरी, 2021 को दोपहर चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

...(व्यवधान)

18.05 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock on Monday,
February 8, 2021/ Magha 19, 1942(Saka).*
